



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA

बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय
OFFICE OF THE DIRECTOR OF CENSUS OPERATIONS, BIHAR

बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, अशोक राज पथ, पटना 800 004

Bihar State Co-Operative Bank Bhawan, Ashok Raj Path, Patna-800 004

Phone No. 0612-2675929, 2675672, Fax-0612-2675049 Email dco-bih.rgi@censusindia.gov.in

पत्रांक डी. 26015/4/2003(पार्ट)-2818

दिनांक-29/10/2015

निविदा आमंत्रण


उपर्युक्त के संबंध में सूचित करना है कि बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय, बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 में वाहन (चालक के साथ) उपलब्ध करने के लिए दिनांक 23.11.2015 के अपराह्न 3.00 बजे तक मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है निविदा में भाग लेनेवाले फर्म का वाहन परिचालन कार्य निबंधन होना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार वाहन पटना एवं पटना से बाहर के लिए उपलब्ध कराना होगा।

(अ) कार्य किये जाने संबंधी विस्तृत ब्योरा :-

- 1) पदाधिकारियों द्वारा बताये गये समय पर आना एवं जाना होगा।
- 2) स्थानीय परिचालन एवं मुख्यालय (पटना) से बाहर के परिचालन का दर वाहन चालक के साथ संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा।
- 3) वाहन के खराब/बिगड़ जाने पर मरम्मत की जिम्मेवारी संबंधित फर्म की होगी। तथा वाहन खराब होने की स्थिति में वैकल्पिक वाहन तत्काल उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी भी फर्म की होगी।
- 4) मुख्यालय से बाहर जाने पर रात्रि विश्राम की स्थिति में भी दर प्रस्तुत करना होगा।
- 5) अपने पत्र पर सर्विस टैक्स नम्बर भी दर्शाना आवश्यक होगा।
- 6) वाहन चालक का ड्राईविंग लाईसेंस स्थायी होना चाहिए तथा नियमानुसार नवीकृत होना चाहिए।
- 7) वाहन हेतु पेट्रोल आदि का व्यय फर्म द्वारा किया जायेगा।

(ब) सामान्य शर्तें:-

- 1) किसी भी निविदा को बिना कारण बताये पूर्णतः या अंशतः रद्द करने का अधिकार निदेशालय जनगणना परिचालन, बिहार पटना के पास सुरक्षित होगा।
- 2) निविदादाता आने वाले सभी खर्चों सहित उल्लेख करते हुए अपनी निविदा मुहरबंद लिफाफे, निविदा बॉक्स में दिनांक 23.11.2015 के अपराह्न 3.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। अपराह्न 3.00 बजे के उपरांत किसी भी प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदायें उसी दिन 4.00 बजे निविदा समिति के द्वारा खोली जायेगी। निविदादाता अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं।
- 3) निविदादाता की फर्म को परिवहन विभाग से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा तथा निविदा पैड पर उक्त पंजीकृत संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए। अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।
- 4) भुगतये राशि से नियमानुसार आयकर (टी0डी0एस0) की कटौती की जायेगी।
- 5) सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 6) आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।


29/10/15
(धीरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक

निविदा संख्या -डी. 26015/4/2003(पार्ट)- _____ दिनांक- _____

वाहन (चालक के साथ) उपलब्ध करने के लिए दर

विवरणी	छोटा वाहन नन ए0सी0	छोटा वाहन ए0सी0	बड़ा वाहन नन ए0सी0	बड़ा वाहन ए0सी0	अभियुक्ति
स्थानीय					
पटना से बाहर					
रात्रि चार्ज					
अतिरिक्त घंटा					

नाम
फर्म का नाम व पता (मुहरसहित)
दिनांक- _____

हस्ताक्षर